नवीन प्र० /3701/2016

न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

प्र.क्र. /16 निग-3701-I-16

वीरसिंह पुत्र श्री विजय सिह दांगी, उम्र 35वर्ष,
निवासी-मिरगावली तह.ग्यासरपुर, जिला विदिशा
..........आवेदक

बनाम्

धर्मेन्द्र पुत्र श्री सुरेश सिंह दांगी, उम्र 30वर्ष,
निवासी-मिरगावली तह.ग्यासरपुर, जिला विदिशा
.......अनावेदक

आदेश दिनांक 02.09.16 न्यायालय तहसीलदार महोदय ग्यारसपुर, प्रकरण क्रमांक 04/अ 13/15-16 धर्मेन्द्र विरूद्व वीरसिंह के विरूद्व धारा 50 भू राजस्व संहिता के तहत् निगरानी पेश है :-

माननीय महोदय,

निवेदन है कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :-

1. यह कि अनावेदक अधिनस्थ न्यायालय में आवेदक ने धारा 131 भू राजस्व संहिता के तहत रास्ता बनाने हेतु आवेदन पेश किया किन्तु आवेदक अधिनस्थ न्यायालय में अनावेदक की तामील कराये बिना प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने स्थल निरीक्षण कर पटवारी रिपोर्ट मगाई किन्तु अनावेदक आवेदक की तामील नहीं कराई अनावेदक आवेदक को (वीर सिंह) जानकारी मिलने पर अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं अपने अभिभाषक के साथ उक्त प्रकरण में प्रथम आपत्ति पेश की एवं आपत्ति में निवेदन किया कि पटवारी द्वारा पंचनामा बनाकर रिपोर्ट मगाने वाली कार्यवाही एक तरफा की गई है वह कार्यवाही धारा 131 भू-राजस्व संहिता के विपरीत है एवं 131 भू राजस्व संहिता में नया रास्ता बनाने का तहसीलदार को अधिकार नहीं है जिसका जबाव आवेदक वर्तमान अनावेदक ने दिया और पटवारी द्वारा की गई कार्यवाही को सही ठहराया जबाव आने के बाद दोनो पक्षकारों द्वारा बहस उपरांत आदेश पारित किया गया जिसमें आवेदक की आपत्ति को अनदेखाकर कानून के ऊपर जाकर अधिनस्थ न्यायालय ने आपत्तिं पर विचार न कर एक अन्तिरिम प्रकार का आदेश पारित कर बगैर जबाव का अवसर दिये रास्ता बनाने का आदेश कर दिया जिससे दुखी होकर उक्त

वीरसिंह

निरतंर ....2....

R 3701-I/16 बिडिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-7-18 भोपाल कैम्प	आवेदक आसिफ की अशोक कुमार श्रीवास्तव उप० आवेदक आसिफ द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण को अब आगे नहीं चलाना है। आवेदक आसिफ के निवेदन पर प्रकरण नोट प्रेस के इसी स्तर पर समाप्त किया जाकर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। प्र० सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—355—फॉर्म 1—3-2-16—30,000 प्रपत्र.